बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2013–14 (नवीन एंव नवीनीकरण) के लिए छात्र/छात्राओं से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना

राज्य के सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढने वाले अल्पसंख्यक ;मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एंव पारसीद्ध समुदाय के कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों से वर्ष 2013–14 की छात्रवृत्ति के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दिनांक 15/09/2013 तक आमंत्रित किया जा रहा है। छात्र/छात्रा आवेदन अपने निवास के जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी / जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में निबंधित डाक अथवा हाथों–हाथ जमा करें।

अर्हताऐं

1. गत परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम प्राप्तांक न हो ;वर्ग 1 को छोड़करद्ध
2. माता–पिता/अभिभावक के सभी श्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रूपये से अधिक न हो ।
3. चयन करने में अधिभार गरीबी को दी जायगी प्राप्तांक को नही ।
4. एक परिवार के दो से अधिक बच्चों को यह छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।
5. विद्यार्थी द्वारा कोई दूसरी छात्रवृत्ति नहीं ली गई हो ।

आवेदन पत्र के प्रपत्र की उपलब्धता

आवेदन पत्र शिया वक्फ बोर्ड के वेबसाइट www.biharshiawakfboard.com से डाउन लोड कर उपयोग में लाया जा सकता है या जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी / जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या फोटो कापी कराया जा सकता है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्र ।

1. गत परीक्षा के प्राप्तांक की अभिप्रमाणित प्रति ;वर्ग 1 को छोड़करद्ध
2. आय प्रमाण पत्र सी॰ओ॰/बी0डी0ओ0 द्वारा निर्गत या स्वनियोजित माता–पिता/ अभिभावक द्वारा नन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ–पत्र देंगें तथा नियुक्त माता–पिता/अभिभावक अपने नियोक्ता से आय प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करेंगें
3. स्थायी आवास का प्रमाण पत्र सी॰ओ॰/ बी0डी0ओ0 द्वारा निर्गत।
4. अल्पसंख्यक समुदाय विशेष का सदस्य होने के संबंध में शपथ पत्र ;मुसलमान को छोड़ करद्ध ।
5. संबधित शिक्षण संस्थान से आवेदन पर अग्रसारण अनिवार्य है।